an>

Title: The Minster of State in the Ministry of Rural Development made a statement regarding status of implementation of the recommendations contained in the 1st Report of the Standing Committee on Rural Development on Demands for Grants (2009-10), pertaining to the Department of Rural Development, Ministry of Rural Development.

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): अध्यक्ष महोदया, मैं लोकसभा बुलेटिन-भाग-II दिनांक 01.09.2004 के जरिए लोकसभा के माननीय अध्यक्ष के निदेश के अनुसरण में ग्रामीण विकास (ग्रामीण विकास विभाग) से संबंधित स्थायी समिति (2009-10) (15वीं लोकसभा) की पहली रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर यह वक्तव्य सभा-पटल पर रखता हूं।

ग्रामीण विकास से संबंधित स्थायी समिति (15वीं लोकसभा) की पहली रिपोर्ट 17 दिसम्बर, 2009 को लोकसभा में प्रस्तुत की गई थी। यह रिपोर्ट ग्रामीण विकास विभाग की 2009-10 की अनुदान-मागों की जांच से संबंधित है। समिति की रिपोर्ट में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 6 मार्च, 2010 को ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति को भेज दी गई थी।

उक्त रिपोर्ट में समिति द्वारा 44 सिफारिशों की गई थीं जहां सरकार की ओर से कार्रवाई करने की मांग की गई थी। कार्यक्रमों के उचित कार्यान्वयन की दृष्टि से ये सिफारिशें मुख्य रूप से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ग्रामीण आवास, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सतर्कता एवं निगरानी समिति और बीपीएल सूची को अंतिम रूप दिए जाने आदि से संबंधित मामलों के संबंध में है।

समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की मौजूदा स्थिति मेरे वक्तव्य के साथ संलग्न अनुबंध में दर्शाई गई है, जिसे सदन के पटल पर रख दिया गया है। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इसे पठित समझा जाए।

अध्यक्ष महोदया : श्री रविन्द्र कुमार पाण्डेय ... अनुपस्थित।

श्री शैलेन्द्र कुमार।